

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-०७/स्था० (विविध)-०८-८९/२०१५, परि०

पटना, दिनांक-

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ५(१)(२)(१) के अन्तर्गत श्री विनय कुमार राय, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय के लोक सूचना पदाधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है।

२. पूर्व में निर्गत एतदसंबंधी विभागीय आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
३. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक- २५-०८-१७

ज्ञापांक- ४३४५

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी (मुख्यालय), परिवहन विभाग/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/अवर निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।